

# अब ई-साईन युक्त होंगे जन्म- मृत्यु, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लापरवाही पर होगी सख्त कार्यवाही

कोटा 22 सितम्बर/ जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 तथा राजस्थान जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम वर्ष 2000 की सफल क्रियान्विति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिसके तहत जिले की समस्त ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रार (ग्राम सेवक) के द्वारा किये जा रहे कार्य के निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार तथा विकास अधिकारी द्वारा किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार तथा विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्र की 2-2 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करने के आदेश जारी किये हैं। जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जे.पी. महावर ने बताया कि 2 अक्टूबर से पहचान वेब पोर्टल के द्वारा जो भी जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन के प्रमाण पत्रा जारी किये जायेंगे वह ई-साईन/डिजीटल साईन युक्त ही जारी किये जायेंगे। इस संबंध में समस्त अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी तथा संबंधित नगर निगम/नगर पालिकाओं के अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार /उप रजिस्ट्रार को पाबंद करें कि इस अवधि के बाद ई-साईन/डिजीटल साईन युक्त ही प्रमाण पत्रा जारी करें। इस संबंध में यदि लापरवाही की गई/निर्देश की अवहेलना की गई तो संबंधित रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा